चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 15.07.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस टीम द्वारा 10 जुआरियों को अलग अलग स्थानों से जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया।

(i). प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला मय हमराह आरक्षी हेमन्त आर्य व आरक्षी धरेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त 1.दीनदयाल पुत्र इन्द्रपाल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2. नन्दकिशोर पुत्र रामखिलावन निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 3.पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रामगोपाल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4.खुशीनन पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम अरवारी थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 5.संजय पुत्र कमलेश निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 6. महेन्द्र सिंह पुत्र भइयालाल निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से मालफड 2500/- रु0, 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 310/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

(ii). व0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी, उ0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह मय हमराह आरक्षी दीपक सिंह द्वारा अभियुक्त 1. विनोद पुत्र रामविशाल निवासी ग्राम रेहुटा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 2. मुन्ना धुरिया पुत्र मइयादीन निवासी नई दुनिया बनकट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3.सुधीर सिंह पुत्र स्व0 रामलखन सिंह निवासी मु0 पटेलनगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 4. सीताराम पुत्र माताबदल निवासी लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से मालफड 1200/- रु0, 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 400 रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 15.07.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 17/2021 धारा 302/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त1.सानू उर्फ देवेन्द्र त्रिपाठी पुत्र मुन्नीलाल 2.कन्हैयालाल उर्फ कन्धई पुत्र चुनकावन निवासीगण ग्राम नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 3. रागिनी उर्फ रानू पत्नी शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया निवासी कपूरी थाना रैपुरा जनपद जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.03.021 को वादिया रागिनी उर्फ रानू पत्नी शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया निवासी कपूरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा स्वयं थाना रैपुरा पर सूचना दी गयी कि उसके पति शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया की दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नायलोन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 17/2021 धारा 302/34 भादवि0 बनाम 02 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील चन्द्र शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि पत्नी ने स्वयं दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर अपने पति शारदा प्रसाद उर्फ अतुल उर्फ भुरैया की नायलोन की रस्सी से

गला घोंटकर हत्या कर दी। दिनाँक 10.03.021 को आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 11.05.021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा व उनकी टीम द्वारा द्वारा अभियुक्त देवनारायण शुक्ला पुत्र अर्जुन प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम कुचौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 02 अदर जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.मुख्य आरक्षी ब्रिजेन्द्र कुमार

3.आरक्षी मुकद्दर सिंह